

परियोजना का नाम:- प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत बादसी गौलोकधाम खाण्ड मोटर मार्ग से कटखन मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

कार्य प्रारम्भ न होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित भूमि पर कोई निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। भारत सरकार से वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

कनिष्ठ अभियन्ता,
पी० एम० जी० एस० वाई०
सिंचाईखण्ड, उत्तरकाशी

सहायक अभियन्ता
पी० एम० जी० एस० वाई०
सिंचाईखण्ड, उत्तरकाशी

अधिशासी अभियन्ता
पी० एम० जी० एस० वाई०
सिंचाईखण्ड, उत्तरकाशी



बन वन विधिकारी
धरासु वा राजि
उत्तरकाशी वन प्रभाग

प्रभावती वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग
उत्तरकाशी